बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

-:: अधिसूचना ::-

संचिका सं०-स०क०निग०-133/2023-.....4632...../ श्री राजेश रंजन, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, भरगामा, अररिया सम्प्रति कदवा, कटिहार द्वारा बाल विकास परियोजना कार्यालय, भरगामा, अररिया में उनके पदस्थापन की अवधि (दिनांक-01.08.2022 से 11.02.2023) के दौरान श्री सुरेन्द्र प्रसाद साह, सेवानिवृत लिपिक, बाल विकास परियोजना कार्यालय, भरगामा, अररिया (सेवानिवृत्ति तिथि- 30.11.2019) के बकाया वेतन एवं सेवान्त लाभ के भुगतान में प्रशासनिक लापरवाही बरती गई।

उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-2242 दिनांक-11.05.2026 द्वारा आरोपित पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की मॉग की गई। श्री राजेश रंजन के पत्रांक-231 दिनांक-26.05.2026 द्वारा अपना स्पष्टीकरण विभाग को उपलब्ध कराया गया। श्री राजेश रंजन के विरूद्ध आरोप एवं उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई तथा समीक्षोपरांत पाया गया कि उन्होने कार्यालय निरीक्षण के उपरांत सेवानिवृत कर्मी के बकाये एवं सेवान्त लाभों के निष्पादन हेतु त्वरित पहल कर कागजी प्रक्रिया पूरी की गई। उक्त के दृष्गित अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री राजेश रंजन को भविष्य में पुरी सर्तकता एवं निष्ठा से कार्य करने की चेतावनी (Warning) देते हुए स्पष्टीकरण से मुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

अत: उक्त परिप्रेक्ष्य में श्री राजेश रंजन, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, भरगामा, अररिया सम्प्रति कदवा, कटिहार को भविष्य में पुरी सर्तकता एवं निष्ठा से कार्य करने की चेतावनी (Warning) देते हुए स्पष्टीकरण से मुक्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

17/8/26

(भोगेन्द्र नाथ झा)
संयुक्त सचिव
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स0क0निग0-133/2023- 4632 पटना-15 दिनांक :- 17.8.2026

ईमेल/ निबंधित

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना / प्रमण्डलीय आयुक्त, /पूर्णियाँ/भागलपुर/निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय, बिहार, पटना / जिला पदाधिकारी, अररिया/कटिहार/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, अररिया/कटिहार/माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के वरीय प्रधान आप्त सचिव / उप सचिव (स्थापना), समाज कल्याण विभाग / संबंधित कोषागार पदाधिकारी / विभागीय आई0टी0 मैनेजर (अपलोड हेतु) एवं श्री राजेश रंजन, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, भरगामा, अररिया सम्प्रति कदवा, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/8/26

संयुक्त सचिव
समाज कल्याण विभाग।